

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

अपील संख्या 973/2020 शीला कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 में सक्षम प्राधिकारी को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में राउमावि पूनरासर, जिला-बीकानेर में अध्यापक लेवल-1 के पद पर कार्यरत है जबकि उसके पति राउमावि सहना, जिला-भरतपुर में अध्यापक लेवल-1 के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के कथनानुसार पति-पत्नी दोनों पिछले 08 वर्षों से अलग-अलग स्थान पर राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तथा उसके 12 वर्ष व 9 वर्ष के बच्चों के पालन-पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं वृद्ध सास-ससुर की सेवा करने वाली केवल अपीलार्थी ही है। अतः अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति-पत्नी प्रकरण(यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापन किया जावे) एवं पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर बीकानेर जिले से भरतपुर जिले में सेवर ब्लॉक के राउमावि लुधावई/बांसी/धानौता में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला कैंडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा पति-पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर बीकानेर जिले से भरतपुर जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के एक ही स्थान अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है।


राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसिलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति के राजकीय सेवा



में कार्यरत होने के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा बीकानेर जिले से भरतपुर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 09.04.21

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/अपील/जय/13054/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, बीकानेर/भरतपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा-मा/विधि/बी-3/29916/ए/20 के क्रम में।
5. अपीलार्थी श्रीमती शीला कुमारी पुत्र श्री प्रमोद कुमार, अध्यापक लेवल-1, राउमावि पूनरासर, जिला-बीकानेर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)